



# मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम, 1974

(दिनांक 01.07.1999 तक संशोधित)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग  
मध्यप्रदेश शासन

## विवरणिका

मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लॉट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974	5
मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (संशोधन) आदेश	12
आवेदन - पत्र 1 ए	19
आवेदन - पत्र 1 बी	21
प्रारूप 2 (आशय पत्र)	24
प्रारूप 3 (सहमति पत्र)	25
प्रारूप 4 (आवंटन आदेश)	26
अनुसूची - पाँच	27
अनुसूची	35

**मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम, 1974  
(दिनांक 01.04.1999 तक की स्थिति में संशोधित)**

**1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ**

- (i) ये नियम मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम, 1974 कहलायेंगे।
- (ii) संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर ये नियम विस्तारित किये जायेंगे।
- (iii) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रभावशाली होंगे।

**2. परिभाषायें**

जब तक कि प्रसंग से अन्यथा वांछनीय नहीं हो :-

- (i) भवन से तात्पर्य औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान एवं ग्रामीण कर्मशाला में निर्मित शेड्स एवं गोदामों को सम्मिलित करते हुए शासन के स्वामित्व के किसी भी भवन से होगा।
- (ii) भूमि से तात्पर्य उद्योग विभाग के स्वामित्व/आधिपत्य में औद्योगिक तथा इसके सहायक प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध विकसित एवं अविकसित भूमि से है। प्लाट का तात्पर्य उस क्षेत्र के लिए नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में दिये गये प्लॉटों से है।
- (iii) आवंटन अधिकारी से तात्पर्य
  - (अ) विलोपित
  - (ब) अपने क्षेत्राधिकार में औद्योगिक संस्थान, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान में निर्मित सभी भवनों, ग्रामीण कर्मशालाओं, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान एवं कर्मशालाओं में प्रत्येक प्रकारण में 5 एकड़ तक भूमि हेतु मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र।
  - (स) विलोपित
  - (द) 5 एकड़ से अधिक के अन्य प्रकारणों में जिला योजना समिति। (मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 15/60/90/11/डी, दिनांक 30.3.99 से आदेश से भाग - (अ) और (स) विलोपित तथा भाग (ब) और (द) को संशोधित किया गया है)
- (iv) शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है।
- (v) संचालनालय से तात्पर्य मध्यप्रदेश का उद्योग संचालनालय एवं उसके अधीन कार्यालयों से है।
- (vi) शिक्षित बेरोजगार से तात्पर्य उन आवेदकों से होगा जो समय-समय पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित परिभाषा के अंतर्गत आते हों।
- (vii) जिला योजना समिति से तात्पर्य मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत बरिष्ठ जिला योजना समिति से है। (आदेश क्रमांक एफ 15/60/90/11/डी, दिनांक 1.4.99 से क्रमांक (vii) जोड़ा गया)

**3. आवंटन हेतु पात्रता**

- (i) संचालनालय में लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत कोई भी इकाई अथवा तकनीकी विकास महानिदेशक भारत शासन से पंजीकृत किसी इकाई अथवा भारत शासन से औद्योगिक विकास एवं नियमन एक्ट 1951 के अंतर्गत आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र प्राप्त आवेदक इकाई या औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम्.) प्रस्तुत करने वाले आवेदक को उद्योग स्थापनार्थ अथवा स्थापित इकाई के विस्तार हेतु भूमि अथवा भवन आवंटन हेतु विचार किया जायेगा।

- (ii) राज्य में औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक संस्थान/अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला में आवंटन पात्रता से किसी उद्योग अथवा उद्योगों के वर्गों को बंचित करने का अधिकार राज्य शासन सुरक्षित रखता है।
- (iii) अपरम्परागत विद्युत संयंत्रों को यदि ऊर्जा विकास निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो वे संयंत्र भूमि आवंटन की पात्रता रखेंगे।  
(आदेश दिनांक 1.4.99 से (iii) जोड़ा गया)

#### 4. नीलामी हेतु भूमि/भवन का आरक्षण

- (i) राज्य शासन किसी भी स्थान पर कोई भूमि/भवन का आरक्षण पट्टेधारी अधिकारों के अंतर्गत नीलामी द्वारा कर सकेगा।  
जिला योजना समिति, औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में निजी क्षेत्र के माध्यम से शेडों का कामप्लेक्स बनाये जाने हेतु भूमि आरक्षित कर सकेगी।  
(आदेश दिनांक 1.4.99 से (ii) जोड़ा गया)

#### 5. आवंटन में प्राथमिकतायें

- (i) राज्य शासन द्वारा घोषित प्राथमिकता वाले उद्योगों को भूमि/भवन आवंटन हेतु किसी भी भूमि/भवन को आरक्षित रख सकेगा।
- (ii) स्थापित कार्यरत उद्योगों को विस्तार हेतु चाही नई भूमि आसपास उपलब्ध भूमि से प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जा सकेगी।
- (iii) राज्य शासन कतिपय विशेष प्रयोजन हेतु भूमि/भवन को आवंटन हेतु आरक्षित कर सकेगा।
- (iv) किसी भी उद्योग हेतु, स्थापित उद्योग के विस्तार हेतु अथवा किसी भी उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन के राज्य शासन के अंतर्निहित अधिकार को इन नियमों के अंतर्गत किसी कारण से सीमित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का आरक्षण/आवंटन उन समस्त शर्तों के आधार पर किया जाएगा जो कि शासन द्वारा प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर लगाई गई हों।
- (v) औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान, विकास केन्द्रों, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, ग्रामीण कर्मशाला में भूमि/शेड आवंटन की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-
  1. शत-प्रतिशत निर्यात आधारित इकाई/निर्यातक इकाई/अप्रवासी भारतीय की इकाई।
  2. वृहद एवं मध्यम श्रेणी की इकाई
  3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी एवं उनकी सहकारी संस्था ।
  4. शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमी।
  5. महिला उद्यमी।
 प्राथमिकता अंतर्गत 50 प्रतिशत आवंटन प्राथमिकता सूची अनुरूप होगा तथा 50. प्रतिशत आवंटन नैर प्राथमिकता सूची के उद्यमियों को होगा।  
(आदेश दिनांक 1.4.99 से (v) जोड़ा गया)

#### 6. भूमि का परिमाण

प्रस्तावित योजना/परियोजना में प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र से निम्नानुसार भूमि आवंटित की जा सकती है :-

- (i) निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर तक होने पर निर्मित क्षेत्र के 3 गुना तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा।
- (ii) निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से अधिक होने पर निर्मित क्षेत्र से 2 गुना तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा।

उपरोक्त पात्रता से अधिक भूमि की आवश्यकता होने पर आवंटन प्राधिकारी द्वारा यदि दो हेक्टेयर तक भूमि आवंटन है तो जिला योजना समिति की पूर्व अनुमति से तथा दो हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटन है तो राज्य शासन की पूर्व अनुमति से आवंटन किया जा सकेगा।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 6 प्रतिस्थापित किया गया)

#### 7. आवंटन हेतु आवेदन

- (i) भूमि/भवन आवंटन हेतु समस्त आवेदन पत्र मुख्य महाप्रबंधक/गहाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जहाँ कि भूमि/भवन स्थित है को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र -1 (ए) अथवा 1 (बी), जो भी लागू हो, प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) भूमि आवंटन के आवेदन के साथ आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। आवेदन पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यह अवधि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में वैध आवेदन प्राप्त होने की तिथि से मानी जावेगी। आवेदन शुल्क पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से (ii) जोड़ा गया)

#### 8. आवेदनों की निराकरण प्रक्रिया

- (i) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में वैध आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल पंजीकृत किया जाएगा। भूमि/भवन उपलब्ध होने पर प्रकरण का परीक्षण कर पात्र आवेदक को 15 दिवस में भूमि/भवन आवंटित/अनुशसित किया जाएगा।
  - (ii) जब तत्काल रूप से कोई भूखण्ड/भवन उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में दो प्रकार की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसमें से एक प्रतीक्षा सूची प्राथमिकता श्रेणी की होगी तथा दूसरी सामान्य श्रेणी के उद्यमियों की होगी। एकान्तर पद्धति के आधार पर भूमि/भवन का आवंटन प्राथमिकता श्रेणी की इकाइयों तथा सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को होगा। उपरोक्त प्रक्रिया में प्रथम आवंटन प्राथमिकता सूची से किया जावेगा।
  - (iii) समस्त आवेदन प्रथमतः एक वर्ष के लिए वैध होंगे तत्पश्चात आवेदक की स्वेच्छा से ही उसका नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। तदाशय की सूचना आवेदक द्वारा एक वर्ष की समयावधि समाप्त होने के पूर्व ही संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में देनी होगी। समयावधि में सूचना न देने के फलस्वरूप पूर्व में जमा 25 प्रतिशत प्रब्याजि में से 10 प्रतिशत राशि राजसात कर शेष 15 प्रतिशत राशि आवेदक को वापस कर उसका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाएगा।
  - (iv) मुख्य महाप्रबंधक/गहाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को वैध तिथि के उपरांत आवेदक को 15% प्रचलित प्रब्याजि वापस करनी होगी अन्यथा वे विलंब हेतु उत्तरदायी होंगे।
- (आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 8 प्रतिस्थापित किया गया)

#### 9. निर्णय से सूचित करना

आवंटन प्राधिकारी द्वारा भूमि/भवन हेतु पात्र आवेदकों को अनुसूची 2 अनुसार निर्धारित प्रारूप में आशय पत्र जारी किया जाएगा।

#### 10. आवेदक द्वारा सहमति सूचित करना

- (i) आशय पत्र प्राप्त होने के एक माह के अंदर आवेदक को चालान के माध्यम से एक वर्ष का भू-भाटक तथा प्रब्याजि जमा करनी होगी। अन्यथा उसका आशय पत्र निरस्त मानते हुए आवेदक द्वारा पूर्व में जमा की गयी आवेदन शुल्क की राशि राजसात कर ली जाएगी।



- (iii) आवेदक को आशय पत्र प्राप्त के छः माह के अंदर इकाई वित्त पोषित होने पर उसके द्वारा किस प्रकार से राशि प्राप्त की जाएगी, के अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा अथवा इकाई स्ववित्त पोषित होने की दशा में परियोजना अनुसार स्थाई पूंजी वेधन के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक से सावधि जमा रसीद तैयार कराना होगा जो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास बंधक होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी राशि राजसात की जाएगी।
- (iii) विशिष्ट भूखण्ड/भवन क्रमांक अंकित कर आशय पत्र जारी किया जाएगा।  
(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 10 प्रतिस्थापित किया गया )

#### 11. आवंटन आदेश जारी करना तथा आधिपत्य प्राप्त करना

- (i) आवेदक द्वारा आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति के उपरांत 30 दिवस के अंदर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवंटन आदेश जारी करेगा।
- (ii) आवेदक निम्न शर्तों की पूर्ति करे अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात की जाएगी :-
  - (अ) 15 दिवस के अंदर 3 वर्ष के बराबर नू-भाटक प्रत्याभूति के रूप में जमा करें तथा भवन के प्रकरण में एक वर्ष का किराया जमा करें।
  - (ब) भूमि आधिपत्य के पूर्व 30 दिवस के अंदर पट्टाविलेख निष्पादित कर पंजीकृत कराएं।
  - (स) "अ" एवं "ब" कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात 7 दिवस के अंदर भूमि का आधिपत्य प्राप्त करें।  
(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम -11 प्रतिस्थापित किया गया)

#### 12. स्थानीय रोजगार

- (i) उद्योग विशेष अथवा उद्योगों हेतु अर्जित की गई भूमि से प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को संबंधित उद्योगों में नियोजित करना अनिवार्य होगा।
- (ii) उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अर्जित की गयी भूमि के संबंध में एक योजना बनाई जाएगी जिसमें अर्जित भूमि से प्रभावित परिवारों की सूची (अधिग्रहीत की गयी भूमि की मात्रा अनुसार वरिष्ठता देकर) तैयार की जाकर कुल प्रभावित परिवारों की संख्या निकाली जाएगी।
- (iii) शुद्ध आवंटन योग्य भूमि में प्रभावित परिवारों की संख्या का भाग देकर प्रति हेक्टेयर प्रभावित परिवारों की संख्या निकाली जाएगी।
- (iv) इस प्रकार निकाली गयी प्रति हेक्टेयर प्रभावित परिवारों की संख्या में उद्योग विशेष को आवंटित भूमि के अनुपात में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को योग्यता अनुरूप एवं उद्योग विशेष के पदों को ध्यान में रखकर भूमि आवंटन से एक वर्ष की अवधि में संबंधित उद्योग द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- (v) इस हेतु उद्योग आयुक्त द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रभावित परिवारों की संख्या एवं प्रभावित परिवारों की सूची संबंधित उद्योग को रोजगार देने हेतु प्रदान की जाएगी।
- (vi) उप नियम 1 एवं सहायक उप नियम 6 में बर्णित सूची अनुसार प्रभावित परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने हेतु आरंटी बाध्य होगा।  
(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 12 विलोपित व नियम 12 ए के प्रावधान नियम 12 के रूप में प्रतिस्थापित)

#### 13. आशय पत्र अथवा आवंटन आदेश का निरस्तीकरण

निर्धारित समयवधि में आशय पत्र की शर्तों का क्रियान्वयन नहीं होने पर आशय पत्र निरस्त किया जाएगा। आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति न होने पर आवंटन आदेश निरस्त किया जाएगा।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 13 प्रतिस्थापित किया गया।)

#### 14. कार्यक्रम का क्रियान्वयन

- (i) प्रत्येक आवंटी को भूमि के आधिपत्य ग्रहण करने के दिनांक से परियोजना/योजना क्रियान्वित करनी होगी, इसके साथ-साथ लघु उद्योगों के प्रकरण में एक वर्ष में तथा मध्यम एवं बृहद उद्योगों के प्रकरण में तीन वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन में जाना होगा। भवन के प्रकरण में भी आवंटी को भवन के आधिपत्य ग्रहण करने के दिनांक से परियोजना/योजना क्रियान्वित करना होगा इसके साथ-साथ लघु उद्योगों के प्रकरण में 6 माह में तथा मध्यम एवं बृहद उद्योग के प्रकरण में एक वर्ष के भीतर उत्पादन में जाना होगा।
- (ii) यद्यत् समय सीमा व्यतीत होने के पश्चात् निम्न पूर्ति होने के बाद ही आवंटन प्राधिकारी 6 माह का समय बढ़ा सकेगा तथा इसके पश्चात् पुनः निम्न पूर्ति कर 6 माह का समय बढ़ाने का अधिकार पश्चातवर्ती उच्च प्राधिकारी को होगा। इसके पश्चात् समय वृद्धि का कोई अधिकार नहीं होगा।
  - क. समयवधि बढ़ाने हेतु विशिष्ट कारण बताना होगा।
  - ख. आवंटी को दण्ड स्वरूप 50 प्रतिशत प्रब्याजि देय होगा।

#### 15. पट्टे की अवधि

सामान्यतः पट्टे की अवधि भूमि के लिये 99 वर्ष तथा भवनों के लिए 30 वर्ष होगी। मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक- 15/60/96/11/डी, दिनांक 13.8.97 से दिनांक 2.7.94 के प्रभाव से नियम 15 जोड़ा गया।

#### 16. सहायक प्रयोजन हेतु आवंटन

- (i) औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान आदि में कुल आवंटन योग्य भूमि के 20 प्रतिशत से अधिक भूमि उद्योगों से अन्यथा प्रयोजन हेतु आवंटित नहीं की जा सकेगी। साधारणतया केवल उद्योग स्थापना या उद्योग विस्तार प्रयोजन हेतु भवन/भूमि आवंटन किया जाएगा। किन्तु जिला योजना समिति उद्योगों के सहायक प्रयोजनों हेतु भी भूमि/भवन आवंटित कर सकेगी। इस नियम के प्रयोजन हेतु उद्योगों के सहायक प्रयोजन का आशय विद्युत उपकेन्द्र, पेट्रोल पम्प, डाकघर, उद्योग संघ का कार्यालय, जलपानगृह, औषधालय, आवासीय भवनों, बैंकों, एस.टी.डी. बुध, तेल कांटा, रेलवे साइडिंग, ट्रक पार्किंग, सामुदायिक भवन, सभागृह तथा शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य प्रयोजनों से इस प्रतिबन्ध के साथ है कि ऐसे प्रतिष्ठान अपने आसपास के उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। ऐसी भूमि/भवनों पर किराया व प्रब्याजि वाणिज्यिक दरों से वसूल होगा। वाणिज्यिक दर का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जाने प्रावधान है कि इन नियमों में अंतर्भूत कोई भी प्रावधान औद्योगिक प्रयोजन हेतु तात्कालिक रूप से आवश्यक न होने पर निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार अन्य किन्हीं प्रयोजनों हेतु भूमि/भवन आवंटन के राज्य शासन के अधिकार को सीमित नहीं करेगा।
- (ii) यदि नगर एवं ग्राम निवेश विभाग अथवा प्रदूषण निवारण मंडल के द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से किसी औद्योगिक इकाई को वृक्षारोपण करने के लिए शर्त रची जाती है तो उसे उद्योगों के सहायक प्रयोजन मानते हुए वाणिज्यिक दरों पर भूमि आवंटित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन तब किया जाएगा, जबकि इस हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण न करना हो तथा विभाग के पास इस प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध हो। यदि इकाई द्वारा उक्त भूमि पर भवन आदि का निर्माण किया जाता है तो उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
- (iii) औद्योगिक अधोसंरचना में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जिला योजना समिति उद्योगियों/विकासकर्ता को कम्पलेक्स अथवा भवन के निर्माण हेतु विकसित भूखण्ड वृहद एवं मध्यम उद्योग हेतु प्रचलित प्रब्याजि पर आवंटित कर सकेगी। इस हेतु उद्योगी, विकासकर्ता तथा मुख्य महसुब/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित होगा।

#### 17. प्रब्याजि एवं भू-भाटक की दर

भवनों का किराया, भूमि हेतु प्रब्याजि एवं भू-भाटक बत होगा जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।



## 18. किराये का भुगतान

- (i) पट्टेदारी को सम्बद्ध मात का मकन किराया मात प्रारंभ होने के 10 दिवस के भीतर अधिम स्वरूप देना होगा।
  - (ii) किराये का भुगतान अनियमित अथवा विलंब से होने के फलस्वरूप आवंटी को शेष देय किराया राशि पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त दायिडक ब्याज देना होगा।
  - (iii) किराया एवं दायिडक ब्याज देने में असफल होने पर आवंटी द्वारा आवंटन नियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा इसके फलस्वरूप आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
18. ए निर्मित ढांचे में परिवर्तन करने हेतु अनुमति : इकाई के विस्तार हेतु उद्यमी द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित ढांचे जो वैधानिक रूप से सक्षम अधिकारी से अनुमोदित हों तो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विस्तार की अनुमति दे सकेगा। आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 18 ए जोड़ा गया।

## 19 अन्तरण

- (i) भूमि का आंशिक हस्तांतरण पूर्वतः प्रतिबंधित रहेगा।
- (ii) कोई आवंटी आवंटित मकन अथवा भूमि व उस पर निर्मित मकन राज्य शासन अथवा राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से उक्त प्रतिबन्धों के अधीन जो कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा आरोपित की जाए के अंतर्गत पुर्वानुमति प्राप्त किए बिना अंतरित अथवा अभिहस्तांकित नहीं करेगा अथवा रि.कनी नहीं देगा।
- (iii) हस्तांतरण की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी
  - (अ) संपूर्ण भूमि तब हस्तांतरित होगी जब मूल आवंटी ने स्थापित उद्योग अंतर्गत परियोजना का 25 प्रतिशत व्यय कर दिया हो।
  - (ब) नये आवंटी को 100 प्रतिशत प्रस्ताजि जमा करनी होगी तथा प्रयोजित पर पर भू-पट्टा देना होगा।
  - (स) राज्य शासन की मूल आवंटी से प्राप्त होने वाली समस्त लेनदारियां नये आवंटी को हस्तांतरित होंगी।
  - (द) विधीय संस्थाओं द्वारा अधिग्रहीत की गयी इकाई किसी अन्य को हस्तांतरित करने पर हस्तांतरण तभी प्रभावशील माना जाए जब विधीय संस्थायें अथवा नवीन इकाई राज्य शासन की मूल आवंटी से प्राप्त होने वाली लेनदारी का समायोजन कर दें।
  - (ई) उक्त प्रकरणों में भूमि/मकन के पट्टाधिकार के हस्तांतरण के अधिकार मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को होंगे।

## 20. बैंक/विधीय संस्थाओं के पक्ष में अभिहस्तांकन

भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त तथा अनुसूचित बैंकों के पक्ष में आवंटन प्राधिकारी पट्टेदारी अधिकारों के अभिहस्तांकन की अनुमति दे सकेगा, किन्तु राज्य शासन का मार सर्वोपरि रहेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 ए के अंतर्गत घोषित लोक विधीय संस्थाएं/राज्य विधे अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित निगम के लिए लागू होंगी।

## 21. पट्टे का पर्यावसान

- (i) यदि पट्टेदारी/पट्टाधारियों अथवा उसके/उनके अंतरिती अथवा अभिहस्तांकितों द्वारा पट्टाविलेख की किसी भी कंडिका का उल्लंघन किया जाता है तब आवंटन प्राधिकारी द्वारा लिखित में पट्टाधिकारियों अथवा उसके/ उनके अंतरिती अथवा अभिहस्तांकितों को सूचना पत्र जारी किया जा सकेगा कि यदि बत/वे दिए गए उल्लंघन का निराकरण सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर नहीं करते तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा पट्टे का निरस्तीकरण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जा सकेगा कि कंडिका के किसी प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन को पट्टाधारियों या उनके अभिहस्तांकितों या अंतरिती के विरुद्ध प्राधिकार या सुधार लागू करने से अन्यथा न रोका गया हो।



- (iii) यदि आवंटी दायिदक राशि के रूप में 100 प्रतिशत प्रचलित प्रब्याजि जमा करता है तो आवंटन प्राधिकारी संतुष्ट होने पर एक वर्ष का समय बढ़ा सकता है।

## 22. अभ्यावेदन (अपील)

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15/60/11/डी/90 दिनांक 10.3.92 से श्रेष्ठ आवंटन नियम 1974 धारा 22 को विलोपित कर निम्नानुसार धारायें प्रतिस्थापित की गई हैं :

- (i) इन नियमों के अंतर्गत सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश से असंतुष्ट पक्षकार ऐसा आदेश पारित होने के बाद 30 दिवसों की अवधि के भीतर
- क. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन जिला योजना समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- ख. जिला योजना समिति द्वारा आवंटित/नवीनीकृत/निरस्तीकृत निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन राज्य शासन को किया जा सकेगा।
- ग. आवेदक को अभ्यावेदन का नौका केवल एक बार प्राप्त होगा।
- (ii) भूमि/भवन आवंटन नियम, 1974 के पूर्व आवंटित भूमि/भवन के नवीनीकरण/निरस्तीकरण का अधिकार राज्य शासन तथा जिला योजना समिति को होगा।

## धारा 22 अ- स्वप्रेरणा से निर्णय की समीक्षा

इन नियमों में किसी विपरीत बात के अंतर्भूत होते हुए भी :

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या जिला योजना समिति किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें, परन्तु बर्तमान पट्टाविलेख को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का नौका देना आवश्यक होगा।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से जोड़ा गया।)

**मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**

क्रमांक एफ-15-60-90-11-डी

मोपाल दिनांक 01.04.99

**आदेश**

राज्य शासन एक्ट द्वारा म.प्र. उद्योग (शेड/प्लाट, भूमि आवंटन) नियम, 1974 में निम्नानुसार संशोधन करता है -

अनुक्रमांक	नियम की कंडिका क्रमांक	संशोधन
1.	2(ii)अ	विलोपित किया जाता है।
2.	2(ii)ब	उप उद्योग संचालक के स्थान पर "मुख्य महसुब/मंताप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र" प्रतिस्थापित किया जाए।
3.	2(iii)स	विलोपित किया जाता है।
4.	2(iii)द	दस एकड़ से अधिक के स्थान पर "पांच एकड़ (दो हेक्टेयर) से अधिक" तथा संचालक उद्योग/उद्योग आयुक्त के स्थान पर "जिला योजना समिति" प्रतिस्थापित किया जाए।
5.	3 आवंटन की पात्रता	निम्न जोड़ा जाए :- "अपराम्परागत विद्युत संयंत्रों को यदि ऊर्जा विकास निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो वे संयंत्र भूमि आवंटन की पात्रता रखेंगे"
6.	4 नीलामी हेतु भूमि/भवन का आरक्षण	निम्न जोड़ा जाए :- " जिला योजना समिति औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों जर्ईशहरीय औद्योगिक/ग्रामीण कर्मशाला में निजी क्षेत्र के माध्यम से शेडों का कामप्लेक्स बनाये जाने हेतु भूमि आरक्षित कर सकेगी।"
7.	5 आवंटन की प्राथमिकता	प्राथमिकता संबंधी पूर्व प्रावधान विलोपित कर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए :- "1. शत प्रतिशत निर्यात आधारित इकाई/निर्यातक इकाई/अप्रवासी भारतीय की इकाई 2. वृहद एवं मध्यम श्रेणी की इकाई 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी एवं उनकी सहकारी संस्था/फर्म/घाय. लिमि. कंपनी 4. शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमी। 5. महिला उद्यमी। प्राथमिकता अन्तर्गत 50 प्रतिशत आवंटन प्राथमिकता सूची अनुरूप होगा तथा 50 प्रतिशत आवंटन नैर-प्राथमिकता सूची के उद्यमियों को होगा।"

8. 6 भूमि का परिमाण पूर्व प्रावधान विलोपित कर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है:-
1. "निर्मित क्षेत्र एक हजार वर्गमीटर तक होने पर निर्मित क्षेत्र के तीन गुना तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा।
  2. निर्मित क्षेत्र एक हजार वर्गमीटर से अधिक होने पर निर्मित क्षेत्र से दो गुना तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा। उपरोक्त पात्रता से अधिक भूमि की आवश्यकता होने पर आवंटन प्राधिकारी द्वारा यदि दो हेक्टेयर तक भूमि आवंटन है तो जिला योजना समिति की पूर्वानुमति से तथा यदि दो हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटन है तो राज्य शासन की पूर्वानुमति से आवंटन कर सकेगा।"
9. 7 आवंटन हेतु आवेदन निम्न जोड़ा जाए:
- "भूमि/मवन आवेदन पत्र आवंटन आदेश के साथ प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत के रूप में आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा। यह अवधि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में वैध आवेदन जमा होने की तिथि से मानी जाएगी। आवेदन शुल्क पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।"
10. 8 आवेदन के निराकरण की प्रक्रिया पूर्व प्रावधान विलोपित करते हुये निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:
1. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में वैध आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल पंजीकृत किया जाएगा। भूमि/मवन उपलब्ध होने पर प्रकरण का परीक्षण कर पात्र आवेदक को पन्द्रह दिवस में भूमि/मवन आवंटित/अनुसंस्थित किया जावेगा।
  2. जब तत्काल रूप से कोई मूखण्ड/मवन उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में दो प्रकार की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसमें से एक प्रतीक्षा सूची प्राथमिकता श्रेणी की होगी तथा दूसरी सामान्य श्रेणी के उद्योगियों की होगी। एकान्तर पद्धति के आधार पर भूमि/मवन का आवंटन प्राथमिकता श्रेणी की इकाइयों तथा सामान्य श्रेणी के उद्योगियों को होगा। उपरोक्त प्रक्रिया में प्रथम आवंटन प्राथमिकता सूची से किया जाएगा।
  3. सनस्त आवेदन प्रथमतः एक वर्ष के लिये वैध होंगे तत्पश्चात आवेदक की स्वेच्छा से ही उसका नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। तदाशय वही सूचना आवेदक को एक वर्ष की समयवधि समाप्त होने के पूर्व संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को देनी होगी। समयवधि में स्वेच्छा की जानकारी देने के फलस्वरूप पूर्व में जमा 25 प्रतिशत प्रब्याजि में से 10 प्रतिशत राशि राजसात कर शेष 15 प्रतिशत राशि आवेदक को वापस कर उसका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाएगा।

4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को वैद्य तिथि के उपरांत आवेदक को 15 प्रतिशत प्रचलित प्रब्याजि वापस करनी होगी अन्यथा वे विलंब हेतु उत्तरदायी होंगे।”
11. 10 आवेदक द्वारा सटमति सूचित करना पूर्व प्रावधान विलोपित करते हुये निम्न प्रतिस्थापित किया जाए -
1. आशय पत्र प्राप्त होने के एक माह के अंदर आवेदक को चालान के माध्यम से एक वर्ष प्रचलित भू-भाटक तथा प्रब्याजि जमा करनी होगी, अन्यथा उसका आशयपत्र निरस्त मानते हुये, आवेदक द्वारा पूर्व में जमा की गई आवेदन शुल्क की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जाएगी।
  2. आवेदक को आशयपत्र प्राप्ति के छ. माह के अंदर इकाई विच पोषित होने पर उसके द्वारा किस प्रकार से राशि प्राप्त की जाएगी, के अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा अथवा इकाई स्वविच पोषित होने की दशा में परियोजना अनुसार स्थाई पूंजी वेष्टन के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक से सावधि जमा रसीद तैयार कराना होगा जो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास बंधक होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात की जाएगी।
  3. विशिष्ट भूखण्ड/भवन क्रमांक अंकित कर ही आशय पत्र जारी किया जाएगा”
12. 11 आवंटन आदेश जारी करना तथा आधिपत्य प्राप्त करना विलोपित नियम 11 को निम्नानुसार जोड़ा जाए।
1. आवेदक द्वारा आशयपत्र की शर्तों की पूर्ति उपरांत आवंटन प्राधिकारी तीस दिवस के अन्दर आवंटन आदेश जारी करेगा।
  2. आवेदक निम्न शर्तों की पूर्ति करे अन्यथा आवंटन निरस्त माना जाएगा तथा उसके द्वारा जमा की राशि राजसात मानी जाएगी।
    - (अ) पन्द्रह दिवस के अन्दर तीन वर्ष के बराबर भू-भाटक प्रत्याभूति के रूप में जमा करे तथा भवन के प्रकरण में एक वर्ष का किराया जमा करे।
    - (ब) आवंटन आदेश प्राप्ति के तीस दिवस के अन्दर पञ्चभिलेख निष्पादित कर पंजीकृत करायें।
    - (स) “अ” एवं “ब” कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात सात दिवस के अन्दर भूमि/भवन का आधिपत्य प्राप्त करें”



13. 12 आधिपत्य ग्रहण करने पूर्व प्रावधान विलोपित कर नियम 12ए को नियम 12 के रूप में पढ़ा जाए।
14. 14 योजना का क्रियान्वयन नियम का भाग 2 समयावृद्धि संबंधित प्रावधान विलोपित करते हुए निम्न अनुसार जोड़ा जाए :-  
 "समयावधि व्यतीत होने के पश्चात निम्न व्यवस्था का प्रावधान किया गया है :-  
 1. समयावधि बढ़ाने हेतु विशिष्ट कारण बताये जायें।  
 2. आवंटी को वण्ड स्वरूप 50 प्रतिशत प्रब्याजि/किराया देय होगा।  
 उक्त पूर्ति पश्चात आवंटन सक्षम अधिकारी छ. माह का समय बढ़ा सकेगा तथा इसके पश्चात पुनः छ. माह का समय बढ़ाने का अधिकार अगले उच्च सक्षम अधिकारी को होगा।"
15. 16 उद्योगों के सहायक प्रयोजन हेतु वर्तमान निम्न प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया जाए आवंटन" के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए  
 "1. औद्योगिक क्षेत्र/संरक्षित आदि में कुल आवंटन योग्य भूमि के 20 प्रतिशत से अधिक भूमि सहायक प्रयोजन हेतु आवंटित नहीं की जा सकेगी।  
 2. निम्न अतिरिक्त सहायक प्रयोजन सम्मिलित किये जायें :  
 एस.टी.डी. बुध, तेलकांटा, रेल्वे साईडिंग, ट्रक पार्किंग, सामुदायिक भवन, समाग्रह, शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य प्रयोजन।  
 3. ऐसे भूमि/भवन पर किराया, प्रब्याजि एवं मू-माटक वाणिज्यिक दरों से वसूल होगा। वाणिज्यिक दरों का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।  
 4. यदि नगर एवं ग्राम निवेश विभाग अधिवा म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल के द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से किल्ली औद्योगिक इकाई को वृक्षारोपण कराने के लिये शर्त रखी जाती है तो उसे उद्योग के सहायक प्रयोजन मानते हुये वाणिज्यिक दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन तब किया जाएगा जब की इस हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण न करना तो तथा विभाग के पास इस प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध हो। यदि इकाई द्वारा उक्त भूमि पर भवन आदि का निर्माण किया जाता है तो उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

5. औद्योगिक अधोसंरचना में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जिला योजना समिति, उद्यमियों/विकासकर्ता को कामप्लेक्स अथवा भवन के निर्माण हेतु विकसित भू-खण्ड वृद्ध एवं मध्यम उद्योग हेतु प्रचलित प्रब्याजि पर आवंटित करेंगे। उक्त हेतु उद्यमी, विकासकर्ता तथा मुख्य, महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध निम्नांकित होगा।
16. 18 किराये का भुगतान वर्तमान प्रावधान के नीचे निम्न जोड़ा जाये -
1. किराये का भुगतान अनियमित अथवा विलम्ब से होने के फलस्वरूप आवंटों को शेष देय किराया राशि पर 24 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दायिदक ब्याज देना होगा।
2. किराया एवं दायिदक ब्याज देने में असफल होने पर आवंटों द्वारा आवंटन नियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा इसके फलस्वरूप आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
17. 18ए "निर्मित ढांचे में परिवर्तन" नियम 18 के नीचे "18ए" निम्न अनुसार जोड़ा जावे -
1. इकाई के विस्तार हेतु उद्यमी द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित ढांचे जो वैधानिक रूप से सहज अधिकारी से अनुमोदित हो तो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विस्तार की अनुमति दे सकेगा।
18. 19 अंतरण पूर्व प्रावधान को दिलोपित करते हुये निम्न जोड़ा जाए :-
1. भूमि का आंशिक हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2. हस्तांतरण की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी
- (अ) सम्पूर्ण भूमि तब हस्तांतरित होगी जब मूल आवंटों ने स्थापित उद्योग अंतर्गत परियोजना का 25 प्रतिशत व्यय कर दिया हो।
- (ब) नये आवंटों को 100 प्रतिशत प्रब्याजि जमा करनी होगी तथा प्रचलित दर पर भू-भाटक देय होगा।
- (स) राज्य सरकार की मूल आवंटों से प्राप्त होने वाली समस्त लेनदारियाँ नये आवंटों को हस्तांतरित होगी।
- (द) विधीय संस्थाओं द्वारा अधिमृशित की गई इकाई किसी अन्य को हस्तांतरित करने पर हस्तांतरण तभी प्रभाव-शील माना जाए जब विधीय संस्थाएं अथवा नवीन इकाई द्वारा राज्य शासन की मूल आवंटों से प्राप्त होने वाली लेनदारी का समायोजन करें तथा हस्तांतरण संबंधी समस्त शर्तों का पालन नवीन इकाई द्वारा किया गया हो।

		(इ) उक्त प्रकारों में भूमि/भवन के पट्टाधिकार के हस्तांतरण के अधिकार मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास होंगे।
19.	20 "बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में अभिलेखांतरण"	<p>पूर्व प्रावधान विलोपित कर निम्न जोड़ा जाए-</p> <p>"भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त तथा अनुसूचित बैंकों के पक्ष में आवंटन प्राधिकारी पट्टेदार अधिकारों के अभिलेखांकन की अनुमति दे सकेगा, किन्तु राज्य शासन का भार सर्वापरि रहेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(ए) के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थाओं/राज्य विद्युत निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत स्थापित निगम के लिये लागू होगी।"</p>
20.	22 अभ्यावेदन	<p>पूर्व प्रावधान का भाग-2 निम्न अनुसार पढ़ा जाए-</p> <p>"मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध तीस दिवस में अभ्यावेदन जिला योजना समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा।</p> <p>जिला योजना समिति द्वारा आवंटित/नवीनीकृत/निरस्तीकृत निर्णय के विरुद्ध तीस दिवस में अभ्यावेदन राज्य शासन को किया जा सकेगा।</p> <p>आवेदक को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका केवल एक अवसर पर प्राप्त हो सकेगा।</p> <p>2. भूमि/भवन आवंटन नियम 1974 के पूर्व आवंटित भूमि/भवन के नवीनीकरण/निरस्तीकरण का अधिकार जिला योजना समिति को होगा।"</p>
21.	22 अ- स्वप्रेरणा से निर्णय	<p>पूर्व प्रावधान के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है-</p> <p>"राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या जिला योजना समिति किसी भी अभिलेख को बुला सकेगा तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे, परन्तु पट्टाविलेख के निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका देना आवश्यक होगा।"</p>

- 2/ शेष नियम यथावत रहेंगे।  
3/ यह आदेश दिनांक 14.09.99 से प्रभावशील होगा।

राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार,

(एम.एस. मंगौत्रा)  
जवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

क्रमांक एफ-15-60-90-11-डी  
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 01.04.99

- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विश्व विभाग
  - 2 महालेखाकार (लेखा एवं ठकदारी) म.प्र. खालियर।
  - 3 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) म.प्र., मोती महल खालियर।
  - 4 उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 5 समस्त जिला कलेक्टर।
  - 6 प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इम्प्लिमेंटेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल।
  - 7 समस्त प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम।
  - 8 समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र।

जवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग



## आवेदन पत्र 1 (ए)

औद्योगिक क्षेत्र में भूमि या औद्योगिक संस्थान/अर्द्ध-शहरी औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला में भूमि/भवन का आवंटन (स्वामित्विक उद्योग हेतु)

1. आवेदक का पूरा नाम .....
2. आवेदक के पिता का पूरा नाम .....
3. आवेदक की आयु .....
4. आवेदक का पूरा पता (साफ अक्षरों में तहसील/जिले के नाम के साथ) .....
5. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय .....
6. (अ) उद्योग का नाम .....
- (ब) उद्योग के प्रकार का कृपया विस्तृत विवरण दिया जाय। यह भी निर्दिष्ट करें कि उद्योग किस श्रेणी में आता है :
  - (i) निर्माण
  - (ii) मरम्मत
  - (iii) प्रसंस्करण
  - (iv) संरक्षण
  - (v) अन्य श्रेणी
7. उद्योग हेतु चयनित स्थल (क्या नवीन इकाई है अथवा क्या विद्यमान कारख़रत इकाई है तो समीपस्थ स्थल के बारे में विवरण दें) .....
8. उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पाद और प्रत्येक उत्पाद की वार्षिक क्षमता दें (कृपया उल्लेखित करें) .....
9. आवेदक को शामिल कर (इकाई में) सौवायोजित होने वाले कुल कर्मचारी .....
10. निवेशित की जाने वाली पूंजी का विवरण, शेड/भवन, मशीनरी एवं उपकरण के मूल्य, कार्यशील, पूंजी आदि के लिए पृथक से
 

(अ) भूमि	रुपये .....
(ब) भवन	रुपये .....
(स) संयंत्र की मशीनरी तथा उपकरण	रुपये .....
(द) पूर्व परिचालन एवं अन्य स्थायी परिसम्पतियाँ	रुपये .....
<b>कुल स्थायी परिसम्पतियाँ</b>	<b>रुपये .....</b>
(इ) कार्यशील पूंजी (तीन माह हेतु)	रुपये .....
<b>कुल योग</b>	<b>रुपये .....</b>
11. निवेशित की जाने वाली राशि (नवीन इकाई/विस्तारित इकाई)
 

(अ) आवेदक द्वारा	रुपये .....
(ब) अन्य स्रोतों के द्वारा	रुपये .....
<b>कुल योग</b>	<b>रुपये .....</b>
12. (अ) यदि लघु स्तर की इकाई है तो उद्योग विभाग में पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक दें। प्रमाणित प्रतिलिपि और योजना की प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

- (ब) यदि दूरद या मध्यम इकाई है तो तकनीकी विकास महाविदेशक भारत शासन के साथ हुए फंजीयन, भारत शासन से प्राप्त आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/भारत शासन के साथ फाइल किये गये औद्योगिक उद्यमी आपन (आई.इ.एन.) की प्रमाणित प्रतिलिपि दें।

13. इकाई की श्रेणी

- (अ) 100 प्रतिशत निर्यात आधारित/निर्यातक/अप्रवासी भारतीय इकाई  
 (ब) वृत्त और मध्यम श्रेणी की इकाई  
 (स) अनुसूचित जाति/जनजाति या उनकी सहाकारी समिति के द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई  
 (द) शारीरिक रूप से नि:शक्त (मिक्लांग) उद्यमी  
 (इ) महिला उद्यमी  
 (फ) उपर में से कोई नहीं

14. विद्युत शक्ति की आवश्यकता (कि.वा. / मे.वा में)

15. पानी की आवश्यकता (फिल्ट्रो लीटर प्रतिदिन अनुसार कृपया अंकित करें)

16. भूमि की आवश्यकता ..... वर्ग मीटर  
 (अभिन्धास को कमडा-कारुज पर दें)

17. प्रस्तावित आच्छादित/शेड क्षेत्र का विस्तृत माप विवरण

(अ) कारखाने का शेड	..... वर्गमीटर
(ब) गोदाम (भण्डार गृह)	..... वर्गमीटर
(स) कार्यालय	..... वर्गमीटर
(द) अन्य (निर्दिष्ट करें)	..... वर्ग मीटर
<b>कुल</b>	<b>..... वर्ग मीटर</b>

**घोषणा**

1. मैं ..... एउद द्वारा सत्यनिष्ठ से पुष्टि करता/करती हूँ कि आवेदन में प्रस्तुत किए गए उपरोक्त विवरण जहां तक मैं जानता/जानती हूँ और मानता/मानती हूँ, सत्य है।
2. मैं ..... एउद द्वारा सत्यनिष्ठ से पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने म.प्र. उद्योग (शेड/प्लांट, भूमि अधिष्ठा) नियम 1974 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, को पढ़ा है और उसका पूरा ज्ञान है तथा मैं उक्त नियमों का पूर्ण पालन करूंगा/करूंगी।
3. मैं ..... सभी सम्बद्ध विभागीय/प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनुसूचित प्रमाण पत्र/सम्पत्ति इकाई प्रारंभ करने से पूर्व विधि/ वैधानिक निकल्यों द्वारा समय-समय पर चाहे अनुसार प्राप्त करूंगा/करूंगी।
4. मैं ..... ने रुपये ..... (रुपये .....) आवेदन शुल्क स्वल्प जांच किया है। अधिलोकन करें बालाज कर्माकर ..... दिनांक ..... (प्रतिलिपि संलग्न) बैंक / ट्रेजरी का नाम (.....)

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक .....

### आवेदन पत्र 1 (बी)

औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का आवंटन और औद्योगिक संस्थान/अर्द्ध-शहरी औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला में शेड/भूमि का आवंटन (साझेदार फर्म अथवा सहकारी समिति अथवा सार्वजनिक/निजी मर्यादित कंपनी हेतु)

1. आवेदक उद्योग का पूरा नाम .....  
(फर्म या कंपनी का नाम) .....
2. (अ) आवेदक का पूरा नाम एवं पता (सम्बद्ध तहसील/जिले के नाम के साथ) .....  
.....  
(ब) आवेदक का फर्म/कंपनी में स्थान .....  
(कृपया विधिवत् रूप से पंजीकृत न्यायिक अधिकार पत्र (मुख्तारनामा) या मंडल प्रस्ताव की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।)
3. यदि आवेदक एक साझेदार व्यावसायिक फर्म/मर्यादित कंपनी है तो निम्न जानकारी देनी होगी

साझेदारों/ संभालकों के नाम	पिता/पति का नाम	पूरा पता	प्रत्येक साझेदार/ संभालक का वर्तमान व्यवसाय	फर्म के साझेदार/ संभालक की आयु	प्रत्येक साझेदार/ संभालक का अंश	प्रत्येक साझेदार/ संभालक द्राघ निर्देशित की जाने वाली पूंजी	यदि साझेदार/ संभालक एक दूसरे के संबंधी हैं तो विवरण दें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4. उल्लेख करें कि साझेदार व्यावसायिक फर्म का भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन हुआ है या नहीं। यदि हां तो पंजीयन क्रमांक और दिनांक का उल्लेख करें और पंजीयन प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

5. उल्लेख करें कि साझेदारी बिलेख का लेखाकरण हुआ है या नहीं। यदि है तो इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें। उल्लेख करें कि साझेदारी बिलेख का पंजीयन हुआ है या नहीं, यदि है तो पंजीयन क्रमांक व दिनांक दें।
6. (अ) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी का पंजीयन क्रमांक और दिनांक दें। पंजीयन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें। यदि सहकारी सन्धि है तो पंजीयन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा करें।
7. आवेदक उद्योग की श्रेणी का क्रमया विस्तृत विवरण दें। यह भी निर्दिष्ट करें कि उद्योग किस श्रेणी में आता है :
- निर्माण
  - मरम्मत
  - प्रसस्करण
  - संरक्षण
  - अन्य श्रेणी
8. उद्योग हेतु चयनित स्थल (क्या नवीन इकाई है अथवा क्या विद्यमान/कार्यरत इकाई है तो समीपस्थ स्थल के बारे में विवरण दें)
9. उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पाद और प्रत्येक उत्पाद की वार्षिक क्षमता क्रमया उल्लेखित करें।
10. उद्योग में सेवायोजित होने वाले कर्मचारियों की संख्या .....
11. उद्योग में नियेशित की जाने वाली पूंजी का विवरण - शेड, मशीनरी एवं उपकरण के मूल्य, कार्यशील पूंजी आदि के लिए पृथक से
- |  |                    |
|--|--------------------|
| (अ) भूमि                                       | रुपये .....        |
| (ब) भवन  | रुपये .....        |
| (स) सयंत्र वही मशीनरी तथा उपकरण                | रुपये .....        |
| (द) पूर्ण परिचालन एवं अन्य स्थायी परिसम्पतियाँ | रुपये .....        |
| <b>कुल स्थायी परिसम्पतियाँ</b>                 | <b>रुपये .....</b> |
| (इ) कार्यशील पूंजी (तीन माह हेतु )             | रुपये .....        |
| <b>कुल योग</b>                                 | <b>रुपये .....</b> |
12. नियेशित की जाने वाली राशि (नवीन इकाई/विस्तारित इकाई )
- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| (अ) आवेदक द्वारा           | रुपये .....        |
| (ब) अन्य स्रोतों के द्वारा | रुपये .....        |
| <b>कुल योग</b>             | <b>रुपये .....</b> |
13. यदि लघु स्तर की इकाई है तो उद्योग विभाग में पंजीयन का क्रमांक व दिनांक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ दें। यदि मध्यम या बृहद स्तर की इकाई है तो तकनीकी विकास महाभियोग, भारत शासन के साथ हुए पंजीयन क्रमांक और दिनांक/भारत शासन का आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/भारत शासन के साथ फाइल किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम ) की प्रमाणित प्रतिलिपि दें।
14. इकाई की श्रेणी
- 100 प्रतिशत निर्यात आधारित/निर्यातक/अप्रवासी भारतीय इकाई
  - दृष्ट और मध्यम इकाई
  - अनुसूचित जाति/जनजाति उनकी सहकारी सन्धि के द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई
  - शारीरिक रूप से निश्चल (विकलांग) उद्यमी



(ड) महिला उद्यमी

(फ) उक्त में से कोई नहीं

- 15 अनुसूचित योजना/परियोजना रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि दो
- 16 विद्युत शक्ति की आवश्यकता (कि.वा./घं.वा. में)
- 17 पानी की आवश्यकता (किलो लीटर प्रतिदिन अनुसार कुय्या अंकित करें)
- 18 भूमि की आवश्यकता ..... वर्गमीटर  
(अभिन्यास को कपड़ा- कागज पर दें)
- 19 प्रस्तावित आच्छादित/शेड क्षेत्र का विस्तृत माप विवरण
- |                           |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| (अ) कारखाने का शेड        | ..... | वर्ग मीटर        |
| (ब) गोदान                 | ..... | वर्ग मीटर        |
| (स) कार्यालय              | ..... | वर्ग मीटर        |
| (द) अन्य (निर्दिष्ट करें) | ..... | वर्ग मीटर        |
| <b>कुल</b>                | ..... | <b>वर्ग मीटर</b> |

#### घोषणा

1. मैं/हम ..... एकाद्वय सत्यापित न हुई अथवा कठोर दृ/कठोर है कि आवेदन में प्रस्तुत किए गए उपरोक्त विवरण जहाँ तक मैं/हम जानता/जानती हूँ/जानते हैं और मानता/मानती हूँ, मानते हैं सत्य है।
2. मैं/हम ..... एकाद्वय सत्यापित न हुई अथवा कठोर है कि मैं/हम अपने मा.प. उद्योग (शेड/ फाइट भूमि आउटलेट) नियम 1974 किले समय-समय पर समीक्षित किया है, है, है और जहाँ तक मैं/हम जानता/जानती हूँ, मानते हैं सत्य है।
3. मैं/हम ..... सभी सम्बंधित विभागा-प्रतिभारियों से सभी आवश्यक आवश्यक प्रमाण पत्रों, सहायी दस्तावेज प्रदान करने से पूर्ण विधि/कैम्पेनिक विधायी द्वारा समय-समय पर करते अनुसार प्राप्त करना कठोर है।
4. मैं/हम ..... मैं/हम ..... (सत्य ..... ) आवेदन शुल्क सहित जमा किया है। आवेदन कर जमान क्रमांक ..... दिनांक ..... (प्रतिनिधि सत्य) है। दृ/कठोर है।

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक .....

## प्रारूप 2

### आशय पत्र

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रति,

मेसर्स .....

विषय : औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान में भूमि/भवन का आवंटन संबंधी आशय पत्र

संदर्भ : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ..... में प्रस्तुत किया गया आपका आवंटन क्रमांक ..... दिनांक .....

महोदय/महोदया,

आपके संदर्भित आवंटन के संदर्भ में आपको ..... औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान में .....

क्षेत्रफल का प्लान/शेड क्रमांक ..... आवंटित करना प्रस्तावित है, जो विशेषतः इस प्रकार वर्णित है :-

1. इस आदेश के पावती दिनांक से एक माह के भीतर आप कुल जमा राशि राशियों ..... मात्र की प्रथमि और एक वर्ष का षट्टा किराया राशियों ..... मात्र ट्रेजरी बालान के द्वारा जो नीचे दर्शाए गए निर्दिष्ट फर्मा और लेखा शीर्ष के अनुरूप तैयार किया गया है, जमा करें।

लेखा शीर्ष .....

2. इस आशय पत्र के पावती दिनांक से छह माह के भीतर आप इकाई के वित्त पोषण हेतु अपने द्वारा किए गए सुनिश्चित व्यवस्थाओं का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। वित्त पोषण हेतु किए गए सुनिश्चित व्यवस्थाओं का प्रमाण इस प्रकार हो सकता है -

(i) विनीय संस्थाओं से स्वीकृति पत्र

(ii) यदि इकाई स्वयं चालित है, तो इनका प्रमाण

(अ) रूपाधी परिसम्पतियों के रूप में अनुमानित वेधन का 50 प्रतिशत किसी बैंक के साथ सावधि जमा में ..... अवधि हेतु जमा राशि की सावधि जमा रसीद को महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास बंधक स्वरूप रखा जाएगा। इकाई ने अनुमानित रूपाधी परिसम्पतियों का 50 प्रतिशत वेधित किया है, इसका सत्यापन प्राप्त करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित महाप्रबंधक सावधि जमा की रसीद विमुक्त करेगा।

(ब) परिसम्पतियों का प्रमाण जो परियोजना लागत को पूरा कर सकते हैं।

(स) आवंटन अधिकारी की पूर्ण संतुष्टि योग्य अन्य कोई प्रमाण

3. आशय पत्र की पावती के एक माह के भीतर उपरोक्त भूमि के लिए अपनी सहमति प्रारूप 3 में दें।

4. ....

5. ....

यदि आप आशय पत्र की प्राप्ति से ऊपर निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर शर्त क्रमांक (1) और (2) को पूरा करने में सक्षम हैं, तो आशय पत्र स्वयंसेव निरस्त माना जाएगा और आपके द्वारा जमा की गई षट्टा किराया सहित प्रथमि का ..... प्रतिशत राशि राजसात की जाएगी। विभाग द्वारा कोई और दावा मान्य नहीं होगा।

संलग्न : सहमति प्रारूप 3

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक  
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र  
जिला .....

**प्रारूप 3**  
**सहमति पत्र**

आशय पत्र के द्वारा आवंटन अधिकारी द्वारा सूचित किए गए प्लॉट/शेड के प्रस्तावित आवंटन को स्वीकार करने हेतु सहमति प्रारूप

मैं/हम आवेदक श्री/श्रीमती/ कुमारी ..... इसके जगह आवेदक से सम्बन्धित (जिसमें उनके/उनकी चारित्र्य, उत्तराधिकारी, साझेदार, संचालक समाहित होंगे) को आवंटन अधिकारी ने पट्टा देना स्वीकार किया है, जो पट्टा विलेख जिसे निर्दिष्ट भूमि/शेड क्रमांक ..... सेक्टर में, लगभग ..... क्षेत्र के, ..... औद्योगिक क्षेत्र/संरक्षण ..... में स्थित है, जो विशेष रूप से एतदधीन अनुसूची में तथा और स्पष्टीकरण हेतु एतद् संलग्न अभिन्यास में चित्रित है एवं उस पर दर्शाए गए परिस्तीमाएं लाल रंग में हैं (इसमें आगे "उक्त परिशर" से निर्दिष्ट) का लेखाकरण किया जाना है, को उद्योग स्थापना हेतु और/या ..... के उद्देश्य हेतु/के निर्माण हेतु आवेदक को भूमि/शेड का स्वामित्व देने के दिनांक से 99/30 वर्ष की अवधि के लिए उक्त पट्टा विलेख के शर्तों व प्रतिबंधों के बशतें होगा।

और जबकि मैं/हम ..... मैं/हम ..... की और से इसके स्वामी/साझेदार/निदेशक के रूप में आशय पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... और मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लॉट और भूमि आवंटन) नियम 1974, समय-समय पर यथा संशोधित, के शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करूंगा/करेंगे।

आवेदक,  
प्लॉट/शेड के आवंटन हेतु आशय पत्र का धारक  
दिनांक .....

**प्रारूप 4**  
**आवंटन आदेश**

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रति,

मेसर्स .....

**विषय :** औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान में भूमि/शेड का आवंटन

**संदर्भ :** आशय पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... और आपकी सतनति दिनांक .....

**महोदय/महोदया**

उपरोक्त आशय पत्र के संदर्भ में आपने स्वयं ..... मात्र का निर्दिष्ट प्रख्याजि वालान क्रमांक ..... दिनांक से ..... जमा किया है, साथ में आपने अपेक्षित एक वर्ष/एक माह का अधिम किराया भी जमा किया है और आशय पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... में उल्लेखित अन्य शर्तों को भी पूरा करने पर आपको एतद् द्वारा ..... एक : भूमि/शेड क्रमांक ..... माप का ..... (संलग्न दस्तावेजों में अतिविशिष्ट रूप से वर्णित) आवंटन आपके द्वारा सहमत शर्तों व प्रतिबन्धों पर किया जा रहा है।

अनुरोध है कि आप :

- (1) आवंटन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर भूमि के तीन वर्ष के वार्षिक किराये/शेड के एक वर्ष के वार्षिक किराये के समतुल्य राशि स्वयं ..... मात्र प्रत्याभूति जमा स्वरूप जमा करें।
- (2) आवंटन आदेश के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पट्टा विलेख का विलेखकरण और पंजीयन करावें।
- (3) उपरोक्त (1) और (2) के पूर्ण होने के सात दिनों के भीतर भूमि/शेड का अधिमत्व ग्रहण करें।
- (4) ध्यान रखें कि यदि आप उपरोक्त दशाएँ एवं निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त शर्तों (1) (2) और (3) को पूरा करने में असफल होते हैं, तो आवंटन आदेश स्वयंसेव निरस्त माना जाएगा और आपके द्वारा जमा पट्टा किराया व प्रत्याभूति जमा सहित प्रख्याजि राजस्वत माना जाएगा तथा विभाग द्वारा इसके आने कोई और दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

**संलग्न :** पट्टाविलेख का प्रारूप (अनुसूची - 5)

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक  
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र  
जिला .....



## अनुसूची पाँच (दिनांक 01.04.99 से यथा संशोधित)

(औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान में भूमि और औद्योगिक संस्थान में भवन/शेड दोनों के लिए समान पट्टाविलेख का संशोधित प्रपत्र)

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) इस विलेख को वर्ष ..... के माह ..... के ..... दिन एक पक्ष में मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जो ..... के माध्यम से (जो इसके आगे "पट्टादाता" कहलायेंगे और जहाँ संदर्भ में स्वीकार्य हो, उनके पद का उत्तराधिकारी इस अभिव्यक्ति में समाहित होगा) और दूसरे पक्ष में मेसर्स ..... जो श्री/श्रीमती/सुश्री ..... आत्मज/आत्मजा श्री ..... के माध्यम से ..... में पंजीकृत कार्यालय (जो इसके आगे "पट्टागृहीता" कहलाएंगे और जहाँ संदर्भ में स्वीकार्य हो उनके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों तथा अनुगत अंतर्गती इस अभिव्यक्ति में समाहित होंगे) के मध्य निष्पादित किया गया है।

### • (भूमि हेतु)

चूंकि पट्टागृहीता के निवेदन पर पट्टादाता ने पट्टागृहीता को, इसके आगे निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अध्याधीन ..... औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान में स्थित भूमि के उस भाग को, जिसका क्षेत्रफल लगभग ..... वर्गमीटर या इसके समतुल्य है, जो ..... ग्राम/शहर में ..... तहसील में ..... जिले में अवस्थित है, जो इसमें संलग्न अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित है तथा और स्पष्टीकरण हेतु एतद् संलग्न अभिन्यास में चित्रित है एवं जिसे लाल रंग की परिसीमाओं के साथ दर्शाया गया है (इसके आगे "उक्त भूमि" से निर्दिष्ट) को निम्नानुबन्ध वर्ष की समयवाधि जो (दिनांक) ..... से आरंभ होकर (दिनांक) ..... को समाप्त होगी, जिसे इस उद्देश्य हेतु कि उस पर कारखानों का निर्माण और स्थापना, ..... के उत्पादन के लिए और उसके सहायक उद्देश्य के लिए किया जाएगा (इसके आगे "उक्त व्यवसाय" से निर्दिष्ट) को पट्टे पर देने के लिए सहमत है।

### • (भवन हेतु)

चूंकि पट्टागृहीता के निवेदन पर पट्टादाता ने पट्टागृहीता को, इसमें अंतर्भूत शर्तों और प्रतिबंधों के अध्याधीन, उस भूमि के भूखण्ड को, जो ..... औद्योगिक संस्थान/क्षेत्र में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग ..... वर्ग मीटर है, उस पर निर्मित भवन सहित, जिसका भवन क्रमांक ..... है, जो इसमें संलग्न अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित है तथा और स्पष्टीकरण हेतु एतद् संलग्न अभिन्यास में चित्रित है एवं जिसे लाल रंग की परिसीमाओं के साथ दर्शाया गया है (इसके आगे "उक्त परिसर" से निर्दिष्ट) को ..... उद्देश्य हेतु पट्टागृहीता को इसका आधिपत्य देने के दिनांक से तीस वर्ष की समयवाधि हेतु पट्टा देने के लिए सहमत है।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) और वृत्ति पट्टाग्रहीता उक्त शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन पट्टा ग्रहण करने हेतु सतमत है।  
अथ, इसलिए, यह विलेख साक्षी है और यह एतद् द्वारा निम्नानुसार सतमत और घोषित है :

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 1. प्रब्याजि और भू-भाटक (भूमि हेतु) और किराया (परिसर हेतु) जो इसमें आरक्षित है एवं पट्टाग्रहीता के वक्ष में यहाँ सनाहित सविद्या के दृष्टिगत, पट्टादाता पट्टाग्रहीता को भूमि हस्तांतरण करेगा और पट्टाग्रहीता उक्त भूमि/भवन को ..... के उद्देश्य हेतु ..... वर्ष की अवधि के लिए जो उस दिनांक से जब उक्त भूमि/परिसर का आधिपत्य पट्टाग्रहीता को दिया गया हो, से प्रारंभ होगा, का पट्टा स्वीकार करेगा।

•(भूमि हेतु) 2. पट्टाग्रहीता पट्टादाता को उक्त भूमि हेतु एक वर्ष के लिए अधिम भू-भाटक और रुपये ..... मात्र का प्रब्याजि, जैसा कि मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि के आवंटन) नियम 1974 (इसके बाद से "उक्त नियम" से निर्दिष्ट) के अध्याधीन निर्धारित है और तीन वर्ष का भू-भाटक प्रत्याभूति जमा के रूप में, इस विलेख के लेख्यकरण के तीस दिवस के भीतर भुगतान करने के तत्पश्चात् पट्टे की अवधि यावत् पट्टाग्रहीता, पट्टादाता को रुपये ..... (रुपये ..... ) मात्र का वार्षिक भू-भाटक और ऐसी अन्य राशि जो कि एतद्सीन कंडिका 3 के अनुसम निर्धारित किया गया हो, प्रति वर्ष जनवरी माह के दसवें दिवस या इससे पूर्व, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के कार्यालय या ऐसे स्थान या स्थानों जैसा कि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक समय-समय पर निर्दिशित करें, में राशि का भुगतान करेगा।

•(भवन हेतु) पट्टाग्रहीता पट्टादाता को उक्त परिसर के लिए, उक्त नियमों के अध्याधीन निर्धारित अधिम किराये का भुगतान करने के पश्चात्, यह पट्टादाता को उक्त परिसर के लिए एक वर्ष का किराया प्रत्याभूति जमा के रूप में इस विलेख के लेख्यकरण के तीस दिवस के भीतर भुगतान करेगा। तत्पश्चात् पट्टे की अवधि यावत् पट्टाग्रहीता, पट्टादाता को रुपये ..... (रुपये ..... ) मात्र का मासिक किराया प्रत्येक कैलेण्डर माह के दसवें दिवस या इससे पूर्व, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के कार्यालय या ऐसे स्थान या स्थानों जैसा कि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक समय-समय पर निर्दिशित करें, में राशि का भुगतान करेगा।

(भूमि एवं शेड हेतु उभयनिष्ठ) 3. यदि भूमि/परिसर का वार्षिक/मासिक किराया या उसका कोई भी भाग मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा दिनांक निर्धारित करने के पश्चात् से एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो यह किराया 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करना होगा।

•(भूमि हेतु) 4. प्रतिवर्ष का भू-भाटक रुपये ..... (रुपये ..... ) मात्र इस विलेख के विलेख्यकरण दिनांक से 10 वर्ष की समाप्ति पर और तदन्तर प्रत्येक 10 वर्षों के अन्तराल पर वृद्धि के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ है कि यह वृद्धि प्रत्येक अवसर पर पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिए निर्धारित किए गए किराये के एक-घोघाई से अधिक न हो। भू-भाटक के ऊर्ध्व संशोधन के परिणामस्वरूप, पट्टाग्रहीता एतद् द्वारा ऐसी सूचना के तीस दिवस के भीतर प्रतिभूति जमा की अन्तर राशि जमा करने को सतमत है।

- (भवन हेतु) ऊपर कंडिका 2 में उल्लेखित किए गए मासिक किराये का समय-समय पर पुनरीक्षण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाएगा कि किसी एक समय पर किराये की वृद्धि पुनरीक्षण के समय पर देय किराया से 30 प्रतिशत से अधिक न हो। किराये के ऊर्ध्व संशोधन के परिणामस्वरूप पट्टाग्रहीता एतद् द्वारा ऐसी सूचना के तीस दिवस के भीतर प्रतिभूति की अन्तर राशि जमा करने को सहमत है।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 5. पट्टाग्रहीता समय-समय पर और पट्टे की अवधि यावत् प्रत्येक समय पर सानी कर, दर, निर्धारण और अन्य प्रभार व व्यय उपर्युक्त को छोड़कर, जो इसके बाद किसी समय पर उक्त अवधि यावत्, उक्त भूमि/परिसर पर, यदि वह पट्टादाता हो या पट्टाग्रहीता, पर निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किया जाता है या जा सकता है, का भुगतान एवं निर्वहन करेगा।
- (भूमि हेतु) 6. (अ) पट्टाग्रहीता एतद् द्वारा सहमत है कि वह भूमि पर अपना आधिपत्य संरक्षित करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर, लघु उद्योग के प्रकरण में, और तीन वर्ष की अवधि के भीतर, मध्यम एवं बृहद उद्योग के प्रकरण में, परियोजना का क्रियान्वयन करेगा और उर पदन में जाएगा।
- (ब) यदि पट्टाग्रहीता ऊपर दिए गए शर्त 6 (अ) का अनुपालन करने में असफल होता है तो पट्टाग्रहीता के पास प्रतिविधान है कि वह पट्टादाता से और छह माह के समय की अनुमति स्वीकृत कराये और इसके बाद और छह माह के समय के लिए आवंटन अधिकारी के उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
- प्रत्येक अवसर में पट्टाग्रहीता को प्रव्याजि की 50 प्रतिशत राशि दण्ड स्वरूप पट्टादाता को देनी होगी।
- (भूमि हेतु) 7. पट्टाग्रहीता एतद् द्वारा स्वीकार करता है कि वह इसके अंतर्गत पट्टे पर प्रदान की गई संपूर्ण भूमि का, परियोजना के क्रियान्वयन के लिए या उसके विस्तारीकरण के लिए, लघु उद्योग के प्रकरण में तीन वर्ष और मध्यम व बृहद उद्योग के प्रकरण में पांच वर्ष की अवधि के भीतर, उपरिलेखित उद्देश्यों हेतु उपयोग करेगा।
- (भूमि हेतु) 8. पट्टाग्रहीता यह भी स्वीकार करता है कि उसको पट्टे पर प्रदान की गई संपूर्ण भूमि या यदि वह कंडिका 6 और 7 में निर्धारित की गई अवधि के भीतर उपयोग करने में असमर्थ है, तो पट्टादाता को, उसको अपने प्रकरण का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उपयोग में नहीं लाई जा रही भूमि में, बिना कोई भुक्तान या क्षतिपूर्ति दिए, पुनर्प्रवेश का अधिकार होगा।
- (भूमि हेतु) 9. पट्टाग्रहीता पट्टादाता को या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को, समय-समय पर उक्त निर्माण हेतु योजनाओं और निर्दिष्टों को लिखित में प्रस्तुत करेगा, जो कि पट्टादाता द्वारा अनुमोदित योजनाओं एवं निर्दिष्टों के अनुरूप होगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 10. पट्टाग्रहीता उक्त परिसर, भूमि और भवन, उस पर स्थापित या निर्मित ढाँचा निर्माण कार्यों का उपयोग केवल निर्माण कार्य और अन्य सह उत्पादों, जिनका वर्णन परियोजना प्रतिवेदन/अस्थायी पंजीयन में कार्यालय, प्रशासनिक भवन, गोदामों के निर्माण हेतु है, के निर्माण के उद्देश्य से करेगा और पट्टादाता से लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना इसका या इसके किसी भी भाग का कोई और उद्देश्य के लिए स्वयं उपयोग नहीं करेगा न ही अन्यथा किसी दूसरे को उपयोग करने की अनुमति देगा।



•(भूमि हेतु)

11. पट्टाग्रहीता अपने ही व्यय पर उक्त भूमि की परिस्तीमाओं, जो कि इसमें संलग्न योजना में दर्शाए गए सीमांकन के अनुरूप हैं, पर सारे सीमाद्योतकों और स्तम्भों को तुरंत स्थापित करेगा और पूरे समय, इनका परिस्तीमाओं सहित रखरखाव, नरम्मत कर, उक्त अवस्था में रखेगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

12. पट्टाग्रहीता उक्त परिसर, भूमि और उस पर निर्मित भवन को, स्वयं के व्यय पर, निवारण योग्य अवस्था में रखेगा और स्वयं के व्यय पर म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा निर्दिष्ट किए गए अपशिष्ट पदार्थों उपचार संयंत्रों को संस्थापित एवं प्रचालित करेगा।

•(भवन हेतु)

13. पट्टाग्रहीता उक्त परिसर में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी स्थायी और दल्पकालिक आवर्धन अथवा परिवर्तन, कुछ भी नहीं करेगा। आवर्धनों एवं परिवर्तनों में क्या समाहित है इस विषय पर मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

•(भवन हेतु)

14. यदि पट्टाग्रहीता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल उक्त परिसर में आवर्धन अथवा परिवर्तन की अनिवार्यता है तो उसे पट्टाग्रहीता, स्वयं के व्यय पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक की लिखित पूर्वानुमति से करेगा। यह अनुमति अस्वीकार की जा सकेगी यदि उसे परिसर हेतु अवांछनीय या असुरक्षित समझा जाए। पट्टाग्रहीता द्वारा बनाया गया कोई भी आवर्धन एवं परिवर्तन, पट्टाग्रहीता के व्यय पर उक्त अवधि की समाप्ति पर हटा देने के प्रतिबन्ध पर होगा, यदि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा ऐसा वांछित न हो। यदि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक इसे हटाने के लिए बाध्य न करें तो पट्टाग्रहीता को इस आवर्धन या परिवर्तन करने में हुए व्यय हेतु भुगतान या प्रतिपूर्ति पट्टादाता द्वारा नहीं किया जाएगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

15. पट्टाग्रहीता, उक्त परिसर/भूमि को या उसके किसी भी भाग को या उस पर निर्मित किसी भी भवन को, कोई भी उद्देश्य के लिए शिकमी अथवा अभिहस्ताधिकृत या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करेगा, सिवाय जैसा कि उक्त नियम में अभिनिर्धारित किया गया है।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

16. पट्टाग्रहीता इकाई के स्वामित्विक गठन में, आवंटन प्राधिकारी से लिखित रूप में पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना, परिवर्तन नहीं करेगा। यदि गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप, मूल आवंटनी का अंश 50 प्रतिशत अंश से कम हो जाये, तो यह माना जाएगा कि इकाई किसी अन्य रूप में अंतरित हो गई है और तदनुसार हस्तांतरण प्रकरण पट्टादाता द्वारा व्यवहृत होगा। परिवर्तन की सूचना आवंटन प्राधिकारी को, ऐसे परिवर्तन के एक माह पूर्व, देने का दायित्व पट्टाग्रहीता पर होगा।

•(भूमि हेतु)

17. पट्टाग्रहीता उसको पट्टे पर दी गई भूमि के प्रति हेक्टेयर के लिए कम से कम 50 वृक्षों का रोपण स्वयं के व्यय से करेगा और इनकी देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा। पट्टाग्रहीता इस कारण हुए किसी भी व्यय को वापिस पाने का अधिकारी नहीं होगा। इस शर्त के अनुपालन से चूक जाने से उक्त परिसर के आवंटन की शर्त का उल्लंघन माना जाएगा।



- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 18. पट्टाग्रहीता उक्त भूमि/परिसर में कोई भी आपत्तिजनक व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा। इस विषय में कि आपत्तिजनक व्यापार या व्यवसाय क्या होगा आवंटन प्राधिकारी का निर्णय पट्टाग्रहीता पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 19. उक्त भूमि/परिसर का उपयोग करते समय यदि पट्टाग्रहीता कोई भी व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचाने का निमित्त बनता है तो वह उसी तरह मुआयजा या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा जैसे कि सामान्यतया भूमि/भवन के किरायेदार भुगतान करने के लिए बाध्य होते हैं।
- (भवन हेतु) 20. पट्टाग्रहीता उक्त परिसर का, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के नाम से बीमा करायेगा एवं बीमाकृत रखेगा और उक्त अवधि यावत् हर समय स्वतंत्र और पृथक रूप से किसी भी आमजनित हानि या क्षति के विरुद्ध और अन्य सभी जोखिमों के प्रतिकूल जैसा कि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जरूरी समझें तारीखें ..... (स्वयं ..... ) मात्र के लिए बीमा, उद्योग जायुकत द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ बीमाकृत रखेगा और मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास ऐसी सभी बीमा पॉलिसियों को एवं इसी विषय में प्रबन्धजि के अदायगी की सभी रसीदें जमा करेगा। पट्टाग्रहीता उक्त परिसर का बीमा स्वतंत्र रूप से कराएगा, न कि पट्टाग्रहीता की किसी भी अन्य सम्पत्ति के साथ।
- (भवन हेतु) 21. पट्टाग्रहीता ऊपर कंडिका 20 के अध्याधीन आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी करेगा और बीमा पॉलिसी को एवं इसकी भुगतान की रसीदें मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास, पट्टाग्रहीता के उक्त परिसर का आधिपत्य प्राप्त कर लेने के दिनांक से एक माह के अवधि के भीतर जमा करेगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 22. पट्टाग्रहीता, कारखाने को, जिसके लिए भूमि/परिसर का आवंटन किया गया है, पट्टे की अवधि यावत् निरंतर चलाएगा। आवंटन प्राधिकारी की संतुष्टि योग्य किन्हीं उचित कारणों के अभाव में छठ महीने से अधिक अवधि तक लगातार कारखाने का बंद रहना, उक्त शर्त का उल्लंघन माना जायेगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 23. पट्टाग्रहीता उक्त अवधि यावत्, उक्त भूमि/परिसर को, स्वयं के व्यय से यथोचित अच्छी स्थिति में आवंटन प्राधिकारी की संतुष्टि अनुरूप रखेगा।
- (भवन हेतु) 24. यदि पट्टाग्रहीता की ओर से कोई उपेक्षा या चूक हो जाने के कारण उक्त परिसर की कोई मरम्मत की आवश्यकता हो तो इसे पट्टाग्रहीता स्वयं के व्यय से कराएगा। नियमित मरम्मत क्या होना चाहिए और क्या पट्टाग्रहीता की ओर से कोई उपेक्षा या चूक से कोई मरम्मत आवश्यक हो गई है या नहीं, इसका निर्णय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा और यह पट्टाग्रहीता पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

25. यदि एतद् द्वारा आरक्षित किराया या उसका कोई अंश किसी भी समय बकाया और उस दिनांक के बाद जब यह किराया देय होगा, से भूमि के प्रकरण में छह कैलेण्डर माह तक और परिसर के प्रकरण में दो कैलेण्डर माह तक अर्देय रहता है, चाहे यह किराया वैधानिक रूप से मांगा गया हो अथवा नहीं, या यदि पट्टागृहीता दिवालिया हो जाता है और/या परिसीमन/तरलता में स्वेच्छा से या अन्यथा चला जाता है या उक्त परिसर में कोई कुर्सी/आसंजन हो जाय या पट्टागृहीता द्वारा इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी शर्तों या प्रसंविदाओं का उल्लंघन या अनुपालन न किया जाय और पट्टागृहीता, पट्टादाताओं द्वारा दिए गए लिखित सूचना के साठ दिवस के भीतर उल्लंघन का प्रतिकार करने से बूकता है, या दिवालिया हो जाता है या अपने ऋणदाताओं के साथ उद्योग के निपटारे हेतु समझौता करता है, तो यह पट्टा समाप्त माना जायगा और पट्टादाता, कोई भी पूर्व बकाया राशि के अधित्याग के बावजूद, उक्त भूमि/परिसर के पट्टे के अंतर्गत शेष बंध रहे किराए की वसूली हेतु, पट्टादाता के कोई भी अधिकार या प्रतिकार हेतु कोई पक्षपात बिना, पुनर्प्रवेश का अधिकार प्रेरित कर सकता है और उक्त भूमि का अवलंबन कर सकता है जैसे कि मानो यह हस्तांतरण किया ही न गया हो।

•(भूमि हेतु)

26. पट्टा अवधि की समाप्ति पर या पट्टादिलेख शर्तों के उल्लंघन के कारण पट्टे का पर्यावसान किए जाने से, पट्टादाता को भूमि/परिसर में पुनर्प्रवेश का अधिकार होगा। पट्टे के एतद्धीन परिस्थितियों में अवसान पर, प्रब्याजि, भू-भाटक या प्रतिभूति जमा का प्रत्यर्पण अस्वीकार्य होगा।

•(भूमि हेतु)

27. पट्टे का पर्यावसान/समर्पण होने पर, पट्टागृहीता को, उक्त परिसर में स्थित भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा कोई और निर्माण का तीन माह के भीतर अंतरण या अन्य प्रकार से विक्रय पट्टादाता द्वारा स्वीकार्य विधि से करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उक्त तीन माह की अवधि की समाप्ति पर पट्टादाता को उक्त परिसर में छोड़ी गई समस्त सम्पत्ति पर बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए पूर्व अधिकार होगा एवं तदनुसार उसका निपटान करने को स्वतंत्र होगा।

•(भवन हेतु)

28. पट्टागृहीता उक्त अवधि की समाप्ति पर या पट्टे का समय पूर्व पर्यावसान होने पर, उक्त परिसर को, सामान्य टूट-फूट के बाद उसी अवस्था में जैसा कि पट्टागृहीता को अधिकृति या प्राप्ति के समय सौंपा गया था, पट्टादाता को सौंप देगा।

•(भूमि हेतु)

29. यदि पट्टागृहीता ने यथा समय एतद् द्वारा आरक्षित किराये का भुगतान किया है और इसमें सम्मिलित शर्तों का पालन किया है और पूरा किया है, तो पट्टादाता स्वप्रेरणा से पट्टागृहीता के निवेदन और व्यय पर पट्टे को पांच वर्ष की अवधि के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ नवीनीकृत कर सकेगा।

कि प्रत्येक नवीनीकृत पट्टे को प्रदान करने में किराया बढ़ाया जा सकेगा और प्रत्येक नवीनीकृत पट्टे में ऐसी शर्तें जो इसमें शामिल हैं जो कि प्रयोज्य होंगे और अन्य ऐसी शर्तें भी जो पट्टादाता द्वारा आवश्यक समझा जाय, इसमें सम्मिलित होंगी।

•(भूमि हेतु)

30. पट्टाग्रहीता पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का आंशिक या संपूर्ण समर्पण, पट्टादाता को तीन कैलेंडर मात की सूचना में अपने इस अभिप्राय को लिखित रूप में देकर, कर सकता है। पट्टादाता को समर्पित भूमि/परिसर में पुनर्प्रवेश का अधिकार होगा। ऐसे पुनर्प्रवेश पर, निम्न ढंग से पट्टादाता पट्टाग्रहीता को प्रख्याजि का प्रत्यर्पण कर सकता है, जिसे पट्टाग्रहीता को भूमि आवंटित/पट्टे पर दिए जाने समय पट्टाग्रहीता ने मुगतान किया था।

- (i) 90 प्रतिशत, यदि आवंटित/पट्टे पर दिए गए भूमि का समर्पण आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से, लघु स्तर के उद्योग के प्रकरण में, एक वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में तीन वर्ष के भीतर होता है।
- (ii) 80 प्रतिशत, यदि आवंटित/पट्टे पर दिए गए भूमि का समर्पण लघु स्तर के उद्योग के प्रकरण में एक वर्ष के बाद किन्तु दो वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में, तीन वर्ष के बाद किन्तु चार वर्ष के भीतर, होता है।
- (iii) 70 प्रतिशत, यदि आवंटित/पट्टे पर दिए गए भूमि का समर्पण, लघु स्तर के उद्योग के प्रकरण में दो वर्ष के बाद किन्तु तीन वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में चार वर्ष के बाद किन्तु पांच वर्ष के भीतर, होता है।

इस कंडिका के उद्देश्य हेतु पट्टाग्रहीता के पास भूमि पर आधिपत्य की अवधि का निर्धारण, पट्टाग्रहीता द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से पट्टादाता को आधिपत्य वापस देने तक, किया जाएगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

31. इस पट्टे की तैयारी, लेख्यकरण और पंजीयन के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाला सभी परिव्यय और खर्च पट्टाग्रहीता द्वारा वहन और मुगतान करने होंगे, बशर्त कि इस संबंध में ऐसी छूट दी गई हो जो कि पट्टादाता के द्वारा अनुमोदित हो।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

32. इसके और आगे घोषणा की जाती है कि पट्टाग्रहीता प्रतिभूति के रूप में राशि रुपये ..... (रुपये ..... ) मात्र इस पट्टाविलेख की कंडिका 2 ..... के अनुसरण में देय किराये के सम्योहित मुगतान के लिए और इसमें सम्मिलित अनेक शर्तों का परिपालन और निष्पादन करने के लिए, जमा करेगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

33. पट्टाग्रहीता द्वारा इस पट्टाविलेख के किसी भी कंडिका का अतिक्रमण/उल्लंघन के परिणामस्वरूप आवंटन प्राधिकारी पट्टाग्रहीता को 60 दिवस के भीतर पट्टाविलेख की कंडिकाओं का परिपालन/आज्ञापालन के लिए अथवा उल्लंघन का परिशोधन करने की सूचना तानील करा सकेगा/करायेगा और यदि इस सूचना का पालन न हुआ तो पट्टाविलेख निरस्त हुआ माना जाएगा।

(भूमि एवं शेड हेतु उभयनिष्ठ)

34. पट्टाग्रहीता के द्वारा इसमें सम्मिलित किसी भी शर्त और प्रतिबंध का उल्लंघन या अनुपालन न होने पर, ऊपर कंडिका 32 में निर्दिष्ट प्रतिभूति जमा का पट्टादाता के द्वारा, इस और से पट्टादाता के कोई भी अन्य अधिकार या प्रतिकार के लिए पक्षपात बिना और उक्त भूमि/परिसर का आधिपत्य पुनः ग्रहण करने हेतु राजसात कर लेना विधि अनुकूल होगा।

- (भूमि एवं शेड हेतु उभयनिष्ठ) 35. प्रत्याभूति राशि, जिसका उल्लेखित तरीके से राज्यसात नहीं हुआ हो, से, पट्टादाता को देय और इस संदर्भ में इसके द्वारा वसूलने योग्य सभी राशियों की कटौती के पश्चात पट्टाग्रहीता को पट्टाविलेख की अवधि पूरा होने या अन्य कारणों से समाप्ति के बाद वापिस किया जाएगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 36. पट्टाग्रहीता यदि वह आवंटन प्राधिकारी के द्वारा पारित मूल आदेश से असंतुष्ट है तो वह निम्नानुसार केवल एक बार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा :
- (i) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन संबंधित जिला योजना समिति को
- (ii) जिला योजना समिति द्वारा पारित मूल आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को
- ऐसे अभ्यावेदन पर दिया नया निर्णय अंतिम होगा और इसके पश्चात पुनः अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (उल्लेखनीय है कि ऐसा अभ्यावेदन मूल आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।)
- (भूमि हेतु) 37. पट्टाग्रहीता, औद्योगिक क्षेत्र/संरक्षण के लिए भूमि अर्जित करने में प्रभावित परिवारों के ..... सदस्यों को नियमित रोजगार, उत्पादन प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर, उपलब्ध कराएगा। इस कंडिका के अंतर्गत विचारार्थ हेतु पात्र लोगों की सूची जिला कलेक्टर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार होगी।
- अथवा
- जहाँ अर्जित की गई भूमि के बड़े हिस्से का एक विशेष उद्योग हेतु उपयोग किया जाना है, पट्टाग्रहीता औद्योगिक उद्देश्य हेतु उनकी भूमि अर्जित करने में विस्थापित परिवारों के प्रत्येक में से एक सदस्य का पुनर्वास, जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित पुनर्वास कार्यक्रम के अनुरूप करेगा। इकाई में उत्पादन प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर इस पुनर्वास कार्यक्रम का संपूर्ण क्रियान्वयन किया जाना होगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 38. आवंटन प्राधिकारी जिसे आवंटन के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं, वह पट्टादाता की ओर से पट्टाविलेख का पर्यावसान करने में भी सक्षम होगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 39. यह पट्टाविलेख म.प्र.उद्योग (शेड, प्लॉट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974, समय-समय पर यथा संशोधित है, में सम्मिलित प्रतिबंधों के अध्याधीन होगा। इस पट्टाविलेख के लेख-करण के बाद नियम में होने वाले संशोधनों की सूचना पट्टाग्रहीता को मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के द्वारा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में ऐसे संशोधनों की प्राप्ति के दिनांक से सामान्यतया तीन माह के भीतर दिया जाएगा। पट्टाग्रहीता स्वयं के व्यय से उक्त संशोधनों से पट्टाविलेख को संशोधित करने हेतु बाध्य होगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 40. इस विलेख के अध्याधीन वसूली योग्य सभी राशि, मू-राजस्व बकाया स्वरूप वसूली जा सकेगी।
- (\* जो भी लागू न हो, उसे काट दें)



## अनुसूची

ग्राम का नाम .....

तहसील का नाम .....

जिले का नाम .....

औद्योगिक क्षेत्र/ संस्थान का नाम .....

प्लॉट क्रमांक .....

आकार .....

खण्ड क्रमांक .....

भवन क्रमांक .....

शेड क्रमांक .....

आवृत्तित क्षेत्र .....

विरत स्थान .....

धनुसीनार

..... पूर्व में

..... उत्तर में

..... पश्चिम में

..... दक्षिण में

(उपरोक्त विवरण संलग्न अभिलेख में दर्शाए गए हैं।)

साक्षी में जिसके, एक पक्षों ने इस पहाविलेख पर हस्ताक्षर, इस दिनांक और वर्ष में जो क्रमशः उनके हस्ताक्षर के सामने दर्शित हैं, किए हैं।

<p>शाखी (कृपया पूरा नाम, पिता का नाम, आयु और पता दें)</p>	<p>1. नाम .....</p> <p>पिता का नाम .....</p> <p>आयु ..... (शब्दों में.....)</p> <p>पता .....</p> <p>2. नाम .....</p> <p>पिता का नाम .....</p> <p>आयु ..... (शब्दों में.....)</p> <p>पता .....</p>	<p>(पहादाता)</p> <p>मुख्य महाप्रबंधक/प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र म.प्र. के राज्यपाल की ओर से</p> <p>दिनांक .....</p>
<p>1. नाम .....</p> <p>पिता का नाम .....</p> <p>आयु ..... (शब्दों में.....)</p> <p>पता .....</p> <p>2. नाम .....</p> <p>पिता का नाम .....</p> <p>आयु ..... (शब्दों में.....)</p> <p>पता .....</p> <p>दिनांक .....</p>	<p>हस्ताक्षर .....</p> <p>पट्टाघटीता की ओर से .....</p> <p>मेसर्स .....</p> <p>नाम .....</p> <p>पिता का नाम .....</p> <p>आयु ..... (शब्दों में) .....</p> <p>पता .....</p>	